सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 63/13 **निर्णय दिनांक**

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी 35, गांधी नगर, बीकानेर।
2. सूर्याप्रभा पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 35, गांधीनगर, बीकानेर।
3. पुष्पादेवी पत्नी हेमन्तसिंह जाति राजपूत निवासी 26, गजनेर रोड, बीकानेर।
4. पदमसिंह पुत्र हेमन्त सिंह जाति राजपूत निवासी 26, गजनेर रोड, बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. मधुबाला पुत्री मोडाराम पत्नि आसूराम माली निवासी पंवारसर बास, बीकानेर।
2. कृष्णा उर्फ मालीकंवर पुत्री मोडाराम पत्नी पूनमचन्द माली निवासी पंवारसर बास, बीकानेर(मृतक)

2/1 पूनमचन्द पति
2/2 गिरधारी पुत्र
2/3 गजेन्द्र पुत्र
2/4 राजकुमारी पुत्री
2/5 कान्ता पुत्री
2/6 सोमलता पुत्री

3. सुरजमल पुत्र मोडाराम माली रेल्वे स्टेशन के सामने, माता जी मंदिर के पास, हरिजनों का मौहल्ला नापासर, बीकानेर।
4. मूलचन्द उर्फ पूनमचन्द पुत्र मोडाराम माली, कुचीलपुरा महिला मण्डल स्कूल के सामने, बीकानेर।
5. सरिता पुत्री मोडाराम पत्नि रमेशचन्द्र माली निवासी रानी बाजार रामदेव मंदिर के पास, बीकानेर।
6. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्याः 89/13

1. मधुबाला पुत्री स्व. मोडाराम माली पत्नी आसूराम जाति माली निवासी पंवारसर बास, बीकानेर।

2. कृष्णा उर्फ मालीकंवर पुत्री स्व. मोडाराम (मृतक)
2/1 पूनमचन्द पति
2/2 गिरधारी पुत्र
2/3 गजेन्द्र पुत्र
2/4 राजकुमारी पुत्री
2/5 कान्ता पुत्री
2/6 सोमलता पुत्री

—बनाम—

1. सुरजमल पुत्र मोडाराम माली रेल्वे स्टेशन के सामने, माता जी मंदिर के पास, हरिजनों का मौहल्ला नापासर, बीकानेर।
2. मूलचन्द उर्फ पूनमचन्द पुत्र मोडाराम माली, कुचीलपुरा महिला मण्डल स्कूल के सामने, बीकानेर।
3. सरिता पुत्री मोडाराम पत्नि रमेशचन्द्र माली निवासी रानी बाजार रामदेव मंदिर के पास, बीकानेर।
4. पुष्पादेवी पत्नी हेमन्तसिंह जाति राजपूत निवासी 26, गजनेर रोड, एम.एस. कॉलेज के सामने, बीकानेर।
5. पदमसिंह पुत्र हेमन्त सिंह जाति राजपूत निवासी 26, गजनेर रोड, एम.एस. कॉलेज के सामने, बीकानेर।
6. नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी 35, गांधी नगर, बीकानेर।
7. सूर्याप्रभा पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 35, गांधीनगर, बीकानेर।

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 12—04—2013
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री धन्ने सिंह, अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 63/13) व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 (अपील संख्या 89/13)
2. श्री तेजकरण गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 व 2/1 से 2/6 (अपील संख्या 63/13) व अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 89/13)
3. श्री जयचन्द सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2(अपील संख्या 89/13)
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट द्वारा यह दोनों अपीलें उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 12—04—2013 जिसके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को कन्फर्म किया गया व रिसिवर के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों अपीलों में निर्णीत किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को इस एक ही कोमन निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है । इस निर्णय की एक एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर एकतरफा तौर पर दिनांक 05—04—2012 को आदेश दिया कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 16 तादादी 125 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 3/17 तादादी 18 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 35/17 तादादी 75 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल तादादी 220 बीघा 09 बिस्वा भूमि ग्राम शरह कुंजिया जो उपनिवेशन क्षेत्र में आने के पश्चात् चक 493 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 154/30 के किला नम्बर 17, 24, 25 की 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/37 के किला नम्बर 15, 16, 25 बी 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/38 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 21 ता 25 की 12 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/44 के किला नम्बर 24 व 25 की 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/45 के किला नम्बर 3 ता 25 की 23 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/46 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 68 बीघा और चक 496 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 154/31 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 16 की 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/39 के किला नम्बर 1 ता 20 की 20 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/47 के किला नम्बर 1 ता 11, 14 ता 17, 25 की 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/52 के किला नम्बर 21 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्र 154/53 के किला

नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 की 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/54 के किला नम्बर 1 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/56 के किला नम्बर 1 मा 3, 7 ता 9, 12 ता 14 की 8 बीघा 16 बिस्वा कुल 66 बीघा 16 बिस्वा इस प्रकार दोनो चकों की कुल 134 बीघा 16 बिस्वा जिसमें 56 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड एवं 78 बीघा अनकमाण्ड शामिल है के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे उक्त आदेश को आदेश ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश न्यायोचित नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने स्वयं अपने आदेश में माना है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है क्योंकि उनका मौके पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है बल्कि कब्जा खरीददार अपीलांट का होना माना है। मामला भूमि को वेस्ट डेमेज पहुॅचाने का भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए था मगर उन्होंने मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है जो कानूनन अदालत मातहत नहीं दे सकती थी। वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है तथा मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें भूमि सुधार अर्थात डिग्गी बनाने आदि का पूर्ण अधिकार है। ऐसा करने से भूमि को कोई नुकसान नहीं होना बल्कि भूमि का विकास ही होना है। भूमि सुधार में किसी पक्ष को क्या नुकसान होगा यह तथ्य स्पष्ट नहीं है। दावें में सभी पक्षकार को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी जमीन समान रूप से प्राप्त होनी है। डिग्गी का निर्माण किया भी जाता है तो उक्त भूमि एक किलें में ही बनेगी ना की सम्पूर्ण भूमि पर। चूंकि वादगत् भूमि को नरेन्द्र सिंह, सुर्यप्रभा, पुष्पादेवी व पदमसिंह आदि को विक्रय की जा चुकी है व क्रताओं के नाम नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है। चूंकि अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तकार है तथा रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि पर रिसिवर नियुक्त करने की बात करते है जबकि प्रोपर्टी इन—मिडियों ही नहीं है। रिसिवर की नियुक्ति कठोरतम निर्णय है जो नहीं दिया जाना चाहिए। वादगत् भूमि मोडाराम की खातेदारी भूमि थी। मोडाराम की मृत्यु उपरान्त वादगत् भूमि मोडाराम की बेवा चम्पा व सूरजमल व पूनमचन्द द्वारा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर बेचान किया गया है। बेचान उपरान्त अपीलांट का नाम

रिकार्ड में दर्जशुदा है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट वादगत् भूमि पर डिग्गी निर्माण से क्या नुकसान होगा यह स्पष्ट नहीं कर पाये है। रेस्पोडेन्ट का कथन कि डिग्गी निर्माण से वादगत् भूमि कि किस्म में परिवर्तन होगा और विवाद होगा यह तथ्य युक्तियुक्त तर्क नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा रिसिवर की मांग में यह आधार लिया गया है कि भूमि शहर के नजदीक है और दावे के फैसलें में समय लगेगा तथा प्रार्थी महिला होने के कारण उन्हें नुकसान की संभावना है। अतः रिसिवर कायत किया जावे। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की क्रयशुदा भूमि है। अतः रिविसर के माध्यम से बेदखल किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। अतः अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो अपीलांट को वादगत् भूमि का बोनाफाईड परचेजर मानते हुए वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त माना गया है वहीं दूसरी तरफ अपीलांट की खातेदारीशुदा भूमि पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये है जो कि अपने आप में विरोधाभासी कथन है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की हद तक निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 2005 पेज 183, आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 232, आरआरटी 2009 पार्ट II पेज 1398, आरआरडी 2011 पेज 601 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि स्व. मोडाराम वल्द हीरा के नाम की खातेदारी कृषि भूमि रही है। जिसका इंतकाल संख्या 9 वर्ष 1963 दर्जशुदा है। खातेदार मोडाराम का देहान्द हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद हुआ है। मोडाराम के देहान्त के उपरान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 व चम्पा बेवा मोडाराम बहिस्सा बराबर सयुक्त रूप से मालिक व काबिल खातेदार काश्तकार हुए। विरासतन इंतकाल केवल चम्पा व सूरजमल, मूलचन्द पिसरान मोडाराम के नाम दर्ज किया गया। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज नहीं किया गया। वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 को विक्रय किया गया है। चम्पादेवी के देहान्त के बाद मुख्त्यारआम स्वतः निरस्त हो जाता है ऐसी स्थिति में वॉयड मु.आम से किया गया बेचान विधिक रूप से शून्य है। वादगत् भूमि पुश्तैनी सहखातेदारी, सहभागीदारी, कोपार्शनरी, संयुक्त कब्जे

काश्त की भूमि है। जिसमें अपीलांट का रेकार्डेड़ हिस्सा है तथा उनके बाई बर्थ राईट एवं टाईटल है। पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि में से पर्टिकूलर रकबा का विक्रय विधि विरुद्व होने के कारण शून्य व बेअसर धोषित किये जाने लायक है। विधि का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि पैतृक भूमि पर सभी सह काश्तकारों का कब्जा माना जायेगा। पैतृक भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 कानूनन संयुक्त हिस्सेदार व खातेदार है। यह तथ्य रिकार्ड से साबित है। कोई पक्ष अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करता है तो उक्त विक्रय दस्तावेज एबइनिशियोंवाईड व ननेस्ट है। ऐसे वॉयट एवं निष्प्रभावी दस्तावेज के आधार पर तैयार राजस्व दस्तावेज से क्रेतागण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है व वायॅड व शून्य दस्तावेजों के आधार पर क्रेतागण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक व हकूकों की हिस्से की भूमि पर काबिज होने के अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 नाजायज रूप से काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जिसके द्वारा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये है जिसमें किसी पक्षकार को कोई क्षति नहीं होनी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के रिसिवर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर केवल रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। विवादित भूमि इनमिडियों है या नहीं इस बाबत् आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया है तथा एबईनिशियों वॉयड व शून्य दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के हक व हिस्से पर गौर कूननी कब्जे को वैद्य मानने में कानूनी भूल की है। अपीलांट एक महिला जात है अपीलांट के सयुक्त हिस्से पर बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 नाजायज काबिज है। ऐसी स्थिति में विवादित कृषि भूमि इन—मिडियों है। जिस पर न्याय हित में रिसिवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित भूमि पर रिसिवर कायम करने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2006 पेज 837, आरआरडी 1984 पेज 280, आरआरडी 1995 पेज 719, आरआरडी 2005 पेज 523, आरआरटी 2006 पेज 64 व आरबीजे 2016 पेज 529 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 व राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत वाद व एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 सपठित प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि पर ताफैसला दावा रिसीवर नियुक्त किये जाने व वादगत् भूमि को किसी तरह से रहन, बैय व खुर्द—बुर्द नहीं करें ना ही किसी तरह की क्षति पहुॅचाये न ही प्रार्थीगण को भूमि काश्त होने से रोके एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करावें ना ही ऐसा कृत्य करें जिससे प्रार्थीगण के हक व हकूकों पर असर पड़े। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 05—04—2012 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया व तत्पश्चात् उक्त आदेश को दिनांक 12—04—2013 को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया।

(2) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 16 तादादी 125 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 3/17 तादादी 18 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 35/17 तादादी 75 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 कुल तादादी 220 बीघा 09 बिस्वा भूमि ग्राम शरह कुंजिया जो उपनिवेशन क्षेत्र में आने के पश्चात् चक 493 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 154/30 के किला नम्बर 17, 24, 25 की 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/37 के किला नम्बर 15, 16, 25 बी 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/38 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 21 ता 25 की 12 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/44 के किला नम्बर 24 व 25 की 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/45 के किला नम्बर 3 ता 25 की 23 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/46 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 68 बीघा और चक 496 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 154/31 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 16 की 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/39 के किला नम्बर 1 ता 20 की 20 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/47 के किला नम्बर 1 ता 11, 14 ता 17, 25 की 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/52 के किला नम्बर 21 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्र 154/53 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 की 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/54 के किला नम्बर 1 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/56 के किला नम्बर 1 मा 3, 7 ता 9, 12 ता 14 की 8 बीघा 16 बिस्वा कुल 66 बीघा 16 बिस्वा इस प्रकार दोनो चकों की कुल 134 बीघा 16 बिस्वा जिसमें 56 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड एवं 78 बीघा अनकमाण्ड शामिल है स्व. मोडाराम वल्द हीरा के नाम की खातेदारी कृषि भूमि रही है।

(3) वादगत् भूमि स्व. मोडाराम की मृत्यु के उपरान्त स्व. मोडाराम की पत्नी चम्पा व उसके पुत्रों द्वारा सूरजमल व मूलचन्द द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 को विक्रय कर दी गई है। चूंकि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 को रिकार्डेड खातेदार द्वारा विक्रय की गई है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 पुष्पादेवी, पदम सिंह, नरेन्द्र सिंह व सूर्यप्रभा वादगत् भूमि के बोना फाईड परचेजर की श्रेणी में आते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त है। ऐसी स्थिति में चूंकि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तकार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती।

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 232 जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि **T.I. should not be granted against the khatedar.** मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(4) स्व. मोडाराम की पुत्रियों द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने एवं कताओं के विरूद्व चिर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का वाद लेकर आई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि वादगत् भूमि पर स्व. मोडाराम की पुत्रियों का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के तहत अधिकार उत्पन्न होते है अथवा नहीं इस तथ्य का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत/जैरकार वाद में तय होना है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 पुष्पादेवी, पदम सिंह, नरेन्द्र सिंह व सूर्यप्रभा वादगत् भूमि के बोना फाईड परचेजर है व वे वादगत् भूमि पर डिग्गी का निर्माण कर रहे है। अपीलांटा मधुबाला व कृष्णा का यह कथन कि इससे भूमि कि किस्म में परिवर्तन होगा स्वीकार योग्य कथन नहीं है। क्योंकि यह काश्तकार का अधिकार है कि वे अपने हिस्से की भूमि का विकास व सुधार करें इससे भूमि की किस्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है।

(5) जहॉ तक वादगत् भूमि पर रिसिवर कायम करने का प्रश्न है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 वादगत् भूमि के रजिस्टर्ड क्रेता है तथा विवादित

भूमि पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड/बोनाफाईड परचेजर को रिसिवर के माध्यम से बेदखल किया जाना किसी भी स्थिति में युक्ति युक्त व तर्क संगत नहीं माना जा सकता।

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2011 पेज 601 जिसमें अभिलिखित है कि Appointment of receiver is the harsh remedy which should not be invoked against the co-tenant.मामलें में पूर्णतया चस्पा होती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिसिवर का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है।

(6) जहॉ तक अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि वादगत् भूमि स्व. मोडाराम के बाद दावा दायरी के दिन राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण मधुबाला व कृष्णा के नाम नहीं रही है तथा वादगत् भूमि पर उनके स्वत्व का निर्धारण दावे में तय होना है। वादगत् भूमि का खातेदार मोडाराम की मृत्यु के उपरान्त विरासतन रिकार्डेड खातेदार द्वारा विक्रय किया जाना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बोनाफाईड परचेजर को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील संख्या 63/2013 स्वीकार की जाती है व अपील संख्या 89/13 खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का आदेश दिनांक 12—04—2013 वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति की हद तक निरस्त किया जाता है व रिसिवर नियुक्ति बाबत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने की हद तक बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर